

मांग संख्या 13
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

कृषि संचालनालय के अंतर्गत मैदानी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के यात्रा भत्ता दौरे पर मद में राशि रूपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है यह राशि विभागीय बचत से लाई जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

कृषि संचालनालय के अंतर्गत मैदानी कार्यालयों में अनुविभागीय अधिकारियों के लिए 15 जीप वाहन प्रतिस्थापन के शर्त पर क्रय हेतु राशि रूपये 56.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 56,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

प्रदेश में ग्रामोत्थान कार्यक्रम के अंतर्गत धान एवं अन्य खाद्यान्न दलहन, तिलहन फसलों के उन्नत प्रमाणित बीज कृषकों को सस्ते दर पर प्रदाय करने हेतु राशि रूपये 32.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 32,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4 से 5

भारत सरकार द्वारा प्रदेश में उच्च गुणवत्ता बीज उत्पादन योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रूपये 21.00 लाख विमुक्त किया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 21,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 6 से 7

भारत सरकार द्वारा लघु और सीमान्त कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की उद्देश्य से स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई योजना अन्तर्गत 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है इस योजना में 30 प्रतिशत अनुदान राशि राज्य शासन द्वारा तथा शेष हितग्राहियों द्वारा दी जावेगी । इस योजना के अंतर्गत राज्यांश राशि के लिए राशि रूपये 3.00 करोड़ का व्यय संभावित है ।